उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(समाज कल्याण शाखा)

अति अल्पकालीन निविदा

रामगढ़ जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न प्रखण्डों एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले विकलांग व्यक्तियों को निम्नांकित विशेष यंत्र/उपकरण आपूर्ति करने हेतु इच्छुक आपूत्तिकर्त्ताओं से नीचे अंकित शर्त्तों के आधार पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है : –

1	Wheel chair (adult)
2	Tricycle (adult)
3	Tricycle (Child)
4	Blind Stick
5	Haring Aid
6	Walking Stick
7	Pair of crutch (adult)
8	Pair of Crutch (Child)

निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में पुनः दिनांक– 28.09.2015 को 04 बजे अपराह्न तक कार्यालय अवधि में जमा करेंगे। दिनांक–29.09.2015 को 11:00 बजे अपराह्न में उपायुक्त, रामगढ़ की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय क्रय समिति की बैठक में निविदा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

उपायुक्त,
रामगढ़।

निविदा की शर्त्ते : –

1. **तकनीकी निविदा (Technical Bid) : –**

निविदादाता को तकनीकी निविदा (Technical Bid) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र पृथक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा : –

(i) बिक्री दर/TIN निबंधन प्रमाण पत्र,

(ii) बिक्री कर विभाग द्वारा वर्ष 2015 तक का बिक्री कर स्वच्छता प्रमाण पत्र।

(iii) आपूर्तिकर्त्ता/संस्थान के नाम निर्गत PAN Card की छायाप्रति,

(iv) निविदादाता को निविदा के साथ 10,000/– (दस हजार) रूपये का अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के पदनाम से संलग्न करना होगा।

2. **वित्तीय निविदा (Financial Bid) : –**

निविदादाता को वित्तीय निविदा (Financial Bid) के तहत् पृथक मुहरबंद लिफाफा में निविदा देना होगा। तकनीकी निविदा पूर्ण रहने की स्थिति में हीं निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

3. निविदा खुलने के समय निविदादाता को क्रय समिति के समक्ष यंत्र/उपकरण का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा स्वीकृत करने पर अनुमोदित नमूने के अनुरूप विशेष यंत्र/उपकरण की आपूर्त्ति करनी होगी।

4. आपूर्ति किये जाने वाले सामान का नमूना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में जमा करना होगा।

5. नमूने से भिन्न सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी तथा आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

6. निविदा में परिवहन, हथालन सहित सभी प्रकार के कर को सम्मिलित कर दर अंकित करना होगा।

7. आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत नमूने के अनुरूप जिला के बाल विकास परियोजना कार्यालयों में आपूर्ति आदेश निर्गत करने के एक सप्ताह के अन्दर करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथालन व्यय देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर अग्रधन जब्त कर लिया जायेगा तथा आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।

9. किसी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूपेण स्वीकार या अस्वीकार करने या सरकारी अनुदेश के आलोक में प्रशासनिक दृष्टिकोण से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

18/9/15

उपायुक्त,
रामगढ़।